संख्याः 3549/79-5-2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2013

विषयः- निःशुल्क यूनीफार्म की गुणवत्ता एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013-14 में निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-3277/79-5-2013, दिनांक 23.8.2013 द्वारा निर्गत किया गया है।

2- निःशुल्क यूनीफार्म वितरण के संबंध में शासनादेश दिनांक 23.8.2013 द्वारा जनपद स्तर पर अनुश्रवण की यह व्यवस्था की गयी है कि -"जनपद स्तरीय समिति जनपद के समस्त विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा सचिव को विकास खण्ड स्तर पर निःशुल्क यूनीफार्म के वितरण से सम्बन्धित प्रकिया तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों की जानकारी देने हेतु प्रभारी अधिकारी नामित करेगी।"

3- निःशुल्क यूनीफार्म की गुणवत्ता एवं वितरण की समयबद्धता के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित संबंधित प्रभारी अधिकारी प्रथम बैठक करने के पश्चात निम्न प्रारूप पर सूचना संकलित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समयबद्ध रूप से उपलब्ध करायेंगेः-

विकास खण्ड का नाम -............................ प्रभारी अधिकारी का नाम -............................

दूरभाष नं0- ....

क. सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का नाम	विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का दूरभाष/ मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

4- उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव ।

2/...

Letter-Mohit

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस संबंध में अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद/अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. समस्त प्राचार्य, डायट, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नीतीश्वर कुमार)
सचिव।

Letter-1-Mahu